तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मैसर्स लोजिकल डवलपर्स प्रा.लि. बनाम मैसर्स लक्ष्मी बिल्डटेक** **157/2015 (आरसीएमएस नं. 2015/00016)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दौराने बहस कथन रहा है कि दौराने अपील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में समझौता होकर समझौता पत्र निष्पादित हो गया है तथा समझौता के आधार पर वर्तमान में रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही है इसलिये अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.04.2015 को अपारत फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 37 बहाल किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उभयपक्ष द्वारा समझौता पत्र के आधार पर अपील स्वीकार कराना एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 37 बहाल कराना चाह रहे है जबकि केवल समझौते के आधार पर किसी भी अपीलाधीन निर्णय को उचित अथवा अनुचित नही ठहराया जा सकता है चूँकि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को प्रतिप्रेषित किया जाकर वह कम्पनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गये रजिस्टर्ड प्रथम विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.04.2015 के अनुसरण में नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही की जावें। **(के0सी0वर्मा)** संभागीय आयुक्त जयपुर।	